संख्या–1154/नौ–1–सिं0 (06 बजट/03)/2004

प्रेषक,

बी0 आर0 टम्टा,
उप सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई मण्डल,
पौड़ी।

सिंचाई विभाग देहरादून, दिनांक 29 मार्च, 2004

विषयः– जिला योजना के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई खण्ड, देहरादून के पत्र सं0 1172/ल0सिं0/जि0 योजना/2003–04 दिनांक 24.03.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार में निःशुल्क बोरिंग हेतु जिला अनुश्रवण समिति से संस्तुत परिव्यय की प्रतीपूर्ति हेतु संलग्न बी0एम0–15 पर अंकित अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतो से व्यावर्तन द्वारा रू0 4.00 लाख (रूपये चार लाख मात्र) की धनराशि व्यय करने की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्गित रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्यो पर व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्ती हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज, रूल्स, टेडर/कुटेशन विषयक नियम मितव्यता के विषय में शासन के आदेश तथा शासन द्वारा इस विषय में समय–समय पर जारी किये गये अन्य आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

क्रमशः.....2

5– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

6– कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि उपभोग 31.03.2004 तक कर दिया जायेगा और इसमें कृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

8– इस शासनादेश के द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि आवंटित नही की जा रही है। अपितु पूर्व में आवंटित धनराशि को ही संलग्न बी0एम0–15 के विवरण के अनुसार पुनआवंटन किया जा रहा है।

उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–3484/वि0 अनु0–3/2004 दिनांक, 29 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

संलग्नः–यथोक्त।

भवदीय,

(बी0 आर0 टम्टा)
उप सचिव।

संख्या 1154 नौ–1–सिं0 (06 बजट/03)/2004/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–3), उत्तरांचल शासन।
3– श्री एम0एल0पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट अनुभाग उत्तरांचल शासन।
4– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
6– निजी सचिव, मा0 मंत्री सिंचाई बाढ नियन्त्रण एवं लघु सिंचाई को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– कोषाधिकारी/जिलाधिकारी हरिद्वार।
9– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– मुख्य अभियन्ता एंव विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग उत्तरांचल देहरादून।
11– गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नकः–यथोक्त।

(बी0 आर0 टम्टा)
उप सचिव।

प्रपत्र–बी0एम–15

नियन्त्रण अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
प्रशासनिक विभाग: सिंचाई विभाग उत्तरांचल शासन।
वित्तीय वर्ष 2003–04 अनुदान संख्या–20

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2702–लघु सिंचाई 80 सामान्य आयोजनागत 800–अन्य व्यय–91–जिला योजना 07–लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत अनुदान (गहरी बोरिंग) 20–सहायक अनुदान, अंशदान/ राज्य सहायता रू0 500	100	–	400	2702 लघु सिंचाई 80–सामान्य आयोजनागत 800–अन्य व्यय –91–जिला योजना 04– लघु तथा सीमान्त कृषकों को बोरिंग तथा पम्प सैट हेतु अनुदान (निःशुल्क बोरिंग) 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता रू0 400	675	100	जिला अनुश्रवण समिति द्वारा निःशुल्क बोरिंग हेतु रू0 6.75 लाख एवं गहरी बोरिंग हेतु रू0 1.00 लाख की संस्तुति की गयी थी किन्तु इन कार्यों के लिए गहरी बोरिंग हेतु रू0 5.00 लाख एवं निःशुल्क बोरिंग हेतु रू0 2.75 लाख का बजट प्राविधान हुआ है। जिसे पुनर्विनियोग के माध्यम से संशोधित किया जाना आवश्यक है।
रू0 500	100	–	400	400	675	100	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्रक्रियाओं एवं योजनाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3,,
शा0– 3484 (क)/वि0अनु–3/04
देहरादून: दिनांक 29 मार्च 04

बी0 आर0 टम्टा
उप सचिव।

महालेखाकार उत्तरांचल,
ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड,
माजरा देहरादून।
स0 /वि0अनु–3/04तद्दिनांक।
प्रतिलिपि वरिष्ठ कोषाधिकारी हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

रमा रतूड़ी
सचिव।

आज्ञा से,

(बी0 आर0 टम्टा)
उप सचिव।